प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 10.03.2026

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 10.03.2026 को निम्न अभियोग में सजा करायी गयी है ।

1. थाना कोतवाली

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

संक्षिप्त विवरणः-

थाना कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा एक सुसंगठित गिरोह बनाकर अपने गैंग के सदस्यों के साथ चोरी की घटनायें कारित करके जनता में भय व्याप्त करना जिससे जनमानस में लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाना के सम्बन्ध में दिनाँक 04.07.2023 को थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0-156/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया ।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी **प्रभारी निरीक्षक श्री भीमसेन पौनिया** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना कोतवाली पुलिस टीम, पैरोकार का0 अक्षय मोदी व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री संजीव कुमार चतुर्वेदी द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 10.03.2026 को अन्तर्गत **धारा 3(1) यू0पी0 गैगस्टर एक्ट में मा0 न्यायालय एडीजे-10 स्पे0 जज (गैंगस्टर एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **पारस तिवारी पुत्र हरिओंम तिवारी निवासी बजरिया छैराहा थाना कोतवाली जनपद इटावा ।**